न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 04/2018

बउनवान

नूर मोहम्मद उम्र 70 वर्ष पुत्र गफूर खा जाति–मुसलमान निवासी–सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री आलोक गोयल अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 14.03.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 08.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सीसवाली, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 3699 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म नहरी पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 1250/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं अवलोकन नहीं किया गया है। द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है जिससे अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य पेश करने का अवसर मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है ना हीं उक्त अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामील हुई है। उसे मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो अतिक्रमण करने में सक्षम नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की तामील नहीं करवायी है। उसे बिना सुनवाई व जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं देकर, एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट 70 वृद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का वृद्ध व्यक्ति है जो लकवे के पीडित है तथा चलने फिरने में भी असमर्थ है। उसका गत 10 वर्षो से इलाज चल रहा है। अपीलांट खेती करने में भी सक्षम नहीं है। अपने कथन के समर्थन में फर्द दस्तावेज पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके उसे सजायाब किया गया है। जबकि उसका उक्त वर्णित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं अपीलांट आराजी काश्त करने में सक्षम है। मात्र कयास के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई दस्तावेज नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट वृद्ध होने से यदि उसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में सजा भुगतनी पडी तो अपील करना व्यर्थ होगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 70/16 निर्णय दिनांक 26.04.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि अपीलांट 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा लकवे से पीडित है, आराजी काश्त करने में सक्षम नहीं है। उसने कब्जा काफी वर्षो पूर्व से छोड रखा है। जबकि पेरोकार सरकार द्वारा अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रतीत होता है कि अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है तथा लकवे से पीडित है जो वर्तमान में भी चिकित्साधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट वर्तमान में खेती करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रुख अपनाते सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक [illegible] दिये गये साजायाब आदेश को निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथा[illegible] है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को सरे इज[illegible]खाया जाकर सुनाया गया।

([illegible] सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official